



सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

1250, तुलसीनगर, भोपाल-462003
फोन-0755-2558391 फेक्स-2552665
ई-मेल mdcmsssm@gmail.com
URL : <http://www.samagra.gov.in/> & <http://sssm.nic.in/>



क्रमांक/समग्र/18/2014/211

भोपाल, दिनांक 30/7/14

प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर
मध्यप्रदेश

विषय:- समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन हेतु स्वीकृत पदों की पूर्ति बाबत ।

—0—

समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के संचालन हेतु मंत्रि परिषद् के निर्णय दिनांक 16-1-2013 के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-1/6/2013/26-1 दिनांक 20-2-2013 द्वारा जिला स्तर पर एक कम्प्युटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 के संविदा के पदों का सृजन किया गया है । पद का विवरण निम्नानुसार है:-

1- जिला स्तर -

नवीन सृजित पद	पद संख्या	मानदेय
कम्प्युटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड 3 (संविदा पर)	50 (प्रत्येक जिले में एक पद के मान से)	रु0 13,000/- प्रतिमाह)

2- उपरोक्त पद पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही जिला स्तर पर कलेक्टर/जिला मिशन लीडर द्वारा की जावेगी । नियुक्त संविदा कर्मचारी जिला स्तर पर समग्र सामाजिक सुरक्षा का कार्य करेंगे तथा "समग्र संयोजक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन" कहलायेंगे । नियुक्त उम्मीदवार समग्र संयोजक के रूप में संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधीन कार्य करेंगे ।

3- अर्हताएं

- 3.1 ए.आई.सी.टी.ई./UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ PGDCA उत्तीर्ण । अथवा ए.आई.सी.टी.ई./UGC के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से BSc(Computer Science)/BCA/BSc(IT) उत्तीर्ण/समकक्ष अर्हता ।
- 3.2 कम्प्यूटर Basic एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में टायपिंग मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

//1//

4- पात्रता

- 4.1 उम्मीदवार मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिये ।
- 4.2 नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देते हुए आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। आयु सीमा दिनांक 1 जनवरी 2014 की स्थिति में परिगणित की जाएगी।

5- आरक्षण

मध्यप्रदेश के स्थायी आवेदकों में परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत ग्रीन कार्डधारी, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ावर्ग को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार आरक्षण प्रभावशील होगा।

6- नियुक्ति की प्रक्रिया

- 6.1 नियुक्ति हेतु जिला रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम बुलाकर पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
- 6.2 नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर विधिवत एक चयन समिति बनाकर चयन की प्रक्रिया की जावे।
- 6.3 इस समिति के गठन हेतु जिला कलेक्टर सक्षम होंगे।

7- नियुक्ति की शर्तें

- 7.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
- 7.2 नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (CMHO) का (Fitness) चिकित्सा प्रमाण-पत्र, कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 07 दिन की अवधि में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
- 7.3 नियुक्त संविदा कर्मचारी की सेवाएं निर्धारित अवधि के एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे।
- 7.4 नियुक्त संविदा कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
- 7.5 नियुक्त संविदा कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति /निर्देश के समग्र या इससे संबंधित कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 7.6 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
- 7.7 नियुक्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश में कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों से बाध्य होगा।

- 7.8 नियुक्त संविदा कर्मचारी को शासन/कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
- 7.9 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7.10 नियुक्त संविदा कर्मचारी को आधारभूत एवं उसके दायित्वों से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।
- 7.11 नियुक्त संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।
- 7.12 नियुक्त संविदा कर्मचारी को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।
- 7.13 नियुक्त संविदा कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

8- प्रतीक्षा सूची

चयनित उम्मीदवारों में से कम से कम दो उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी।

9- वैधता

चयन सूची की वैधता सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी।

10- संविदा अवधि

- 10.1 प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जावेगा। मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त होने पर 1 वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 2 बार वृद्धि की जा सकेगी अर्थात् कुल संविदा अवधि तीन वर्ष के लिये हो सकेगी।
- 10.2 तीन वर्ष के पश्चात संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता होने पर विचार किया जायेगा।
- 10.3 वार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रपत्र पृथक निर्देश से जारी किये जावेंगे।

11- मानदेय

शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी ।

12- यात्रा एवं दैनिक भत्ता

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता की पात्रता होगी ।

13- अवकाश

- 13.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी ।
- 13.2 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जावेगा ।
- 13.3 संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को नियमानुसार 180 दिन (छःमाह) के प्रसूति अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी । प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकता हेतु महिला संविदा कर्मियों हेतु 90 दिन का बिना मानदेय के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा । पुरुष कर्मचारियों को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी । प्रसूति एवं पितृत्व दोनों अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा ।
- 13.4 बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर रहने/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति की अवधि का संविदा मानदेय देय नहीं होगा ।

14- स्थान परिवर्तन

संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी का मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

15- विशेष

- 15.1 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा । इस शर्त का नियुक्ति आदेश में स्पष्टतः उल्लेख किया जावेगा ।
- 15.2 दस्तावेजों का सत्यापन चयन समिति करेगी । फर्जी दस्तावेजों पर कानूनी कार्यवाही की जावे ।
- 15.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा ।

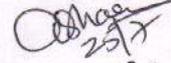
16- विवादों का निपटारा

किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

17- नवीन जिले हेतु

नवीन जिला आगर-मालवा हेतु सूचना पृथक से जारी की जावेगी ।

18- अतः उपरोक्तानुसार तत्काल कम्प्यूटर आपरेटर सह सहायक ग्रेड-3, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की एक माह के भीतर संविदा नियुक्ति नियमानुसार कर की गई कार्यवाही से मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन भोपाल को अवगत करावें ।



(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय तथा

निःशक्तजन कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 30/7/14

पृ0कमांक / समग्र / 18 / 2014 / 212

प्रतिलिपि:-

- 1/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 2/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
- 3/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 4/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 5/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय भोपाल ।
- 6/ आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, म0प्र0 भोपाल ।
- 7/ आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल ।
- 8/ समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
- 9/ मिशन संचालक, म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 10/ समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
- 11/ समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 12/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0 ।



अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामाजिक न्याय तथा

निःशक्तजन कल्याण विभाग